SHRI SHANTI BHUSHAN: Yes, Sir. It is proposed that the new legislation may be enacted before the next elections take place to the Sikkim Assembly. It is being considered to what extent the Lepchas and Bhutias of Sikkimese origin should be given representation namely, reservation and to what extent other people should also be given a right to stand for the membership of the Assembly.

DR. BIJOY MONDAL: These 60,000 people there are now residing in Sikkim and also Sikkim that has become part and parcel of India, may I know from the Minister why is this delay? And because of increasing number of nationals, will the Minister also cosider increasing the number of representative; in the State Assembly?

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have already explained the reasons for the delay because the tenure of the Assembly was continuing till 1980, so it could have berved hardly any purpose in enacting a law for that situation. But now that the Assembly elections are comurg, a law would be enacted before that.

SHRI VAYALAR RAVI: This question of Sikkim is a very sensitive issue. There are certain specific provisions that have been included in the constitution amendment to protect the interest of the Sikkimese people. But the Minister is dealing with the question very lightly. It creates fears in the mind; of the Sikkimese people and can lead to ten-In this country, even now Kashmir has a special status in many respects and a different personal law still exists under the Constitution. Even the Children Adoption Bill was objected to under the name of personal Law. So, in that background, is it fair on the part of the Government to create fear in the minds of the Sikkimese people that certain rights of their; will be taken away? The population of Sikkim is one lakh and influx is 50,000. In due course, the Sikkimese people will be

numbered. Such a situation should be avoided. Will the Government consider this point very seriously and say that the interest of the people of Sikkim will also be protected in a proper manner?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Sir, the Government is fully alive to the need to protect the interests of the people of Sikkimese origin and what I have said is that to what extent there should be reservation for them and to what extent the number of seats should be open to everybody who is residing in Sikkim and who may be a citizen... (Interruptions).

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, this is not a matter of law.

MR. SPEAKER: Please sit down. Let us not convert it into a debate.

SHRI VAYALAR RAVI: This is not a matter of law. You want the people of Sikkim to be 'reserved' people? Sikkim is their own land. Do you want to make the people of Sikkim as 'reserved' people?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Waut I have said is, to what extent recervation for people like Lepchas and Bhutias of Sikkimese origin should continue, because after all, the interests of different rections who are residing in Sikkim have to be protected that is what is contemplated in clause (f) of Article 371-F.

Therefore, to what extent their legitimate interests require protection by providing for reservation for them in the Assembly, that is the matter that is engaging the consideration of the Government.

## Children Adoption Act

## \*389. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether for the last 24 years, social workers and parents who wish to integrate the child from the Orphanages into the family have been crying hoarse for a Children's Adoption Act and for want of this Act children from orphanages do not get the same legal rights as the natural born heir;

- (b) whether more than a thousand destitute children from the various orphanages of Delhi have sent any memorandum to the Government of India to pass the Act to enable them to get those rights; and
- (c) if so, whether the Government of India framed the necessary Bill and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) It is a fact that we have been receiving representations from various social welfare organisations and social workers for the last so many years for the enactment of a law for adoption of children so as to enable the orphaned and abandoned children to get legal rights similar to other children

- (b) Yes, Sir. A memorandum has been submitted to the Government by twenty-six social organisations in February, 1979, on behalf of the destitute children for the introduction of Adoption of Children Bill.
- (c) The circumstances in which the Aloption of Children Bill, 1972 which was introduced in Rajya Sabha in 1972 and which was reported upon by a Joint Committee of the Houses in August, 1976 was withdrawn in July last are well\_known. The matter is under further consideration.

श्री मृश्तिवार सिंह मिलक: प्रध्यक्ष महोदय, बड़े प्रफासीस के साथ कहना पडता है कि जिस चीज के लिए 24 साल से लोग लडते रहे, हतनी प्रार्थनाई- को प्रेयक्षी रहीं वह बिल 1972 के प्रन्दर उवाईट को प्रेयक्षी रहीं वह बिल 1972 के प्रन्दर उवाईट को प्रेयक्षी रहीं वह बिल 1972 के प्रन्दर उवाईट सेलेंक्ट कमेटी ने उस की रिपोर्ट दी। 1978 के प्रन्दर क्याईट सेलेंक्ट कमेटी ने उस की रिपोर्ट दी। 1978 के प्रमुद्ध वह प्रफासीस के साथ कहना पडता है कि हमारी ववर्तमेट ने उम को बिद्धा कर लिया ६ फिर स्वाहब बात समझ में नहीं पाई कि हमारे मिलस्टैर साहब इस तरह से बेगनी हमें उस का जवाब दें।

Why does he feel shy to apprise the House of the circumstances under which this Bill was withdrawn?

मैं उन से साफ तौर से यह पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब हमे बनाए कि किन बजुहात से वह बिल इन्होंने जुलाई, 1978 के झन्दर झपर हाउम में विदड़ा कर लिया। वह झच्छी नरह से हमें यह बनाये ताकि हमें यह पता चल मके कि क्या मृश्कल थी गवनंमेंट के मामने इस बिल के सम्बन्ध में जिम के बाबत इनने मालों से रेप्नेन्टेशंम झाते रहे और सोशल झालेंनाइजेशम तथा हजारों डेस्टीच्यूट बच्चे गवनंमेंट को झप्रोच करने रहे ?

श्री शांति भवण: मान्यवर, यह जो 1972 का एडाप्शन बिल था इस को काग्रेस की सरकार ने दण्दारयम किया था । 1972 में उस समय के ला मिनिस्टर गोखले साहब ने राज्य सभा में इसे इट्राप्ट्यम किया था। लोक सभा मे इट्रोप्ट्यम नही क्या था। बहा वह मेलेक्ट कमेटी मे भेजा गया था भीर मेलेक्ट कमेटी की रिपार्ट भी 1976 में भा गई थी। उस के बाद जब यह राज्य सभा में किस्डरेशन क लिए ग्राया तो उस समय यह सवाल था कि इस को राज्य सभा में मेजारिटी मिलेगी या नहीं। मस्लिम कम्यानिटी की तरफ से कुछ अपात्रीशन उस बिल के लिए या क्यांकि उन का यह कहना था कि एडाप्शन करने के एनेबलिंग मेजर का अधिकार भी मस्लिम की नहीं होना चाहिए और चिक यह अधिकार मस्लिम्स का भी दिया गया था यद्यपि उन के ऊपर कोई जर्बदम्ती नहीं थी कि वे एडाप्शन करे, तब भी कुछ विरोध मस्लिम्म की तरफ से उस का था और राज्य सभा मे जब यह भाया तो यह देखा गया कि काग्रेस की तरफ से उस का विरोध हो रहा है। तो मेजारिटी जनना पार्टी की नहीं थी इसलिए राज्य सभा में एक दफ़ा वह डिफीट हो गया भीर लोक सभा में लाने का कोई तरीका था नही, ज्वाइट सेशन का भी कोई नरीका नही था इसलिए विचार किया गया कि मस्लिम की तरफ से विरोध है, जब तक उनको समझा न लिया जाये थीर जब तक कांग्रेस का बहां पर समर्थन न मिले तब तक राज्य सभा में इसको बोटिंग के लिए लाने से कोई फायदा नही होगा। इसीलिए उसको विद्रुा कर लिया गया।

भी मुक्तियार सिंह मिलक: मैं मिनिस्टर साहब की तारीफ करना चाहना हू कि उन्होंने बड़ी साफगोई से इम हाउस की मारे बजुहात बिल विवड़ा करने के बताए। यह बात तो ठीक है लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं भाई कि राज्य सभा में जनता पार्टी की मेजारिटी न होने की बजह से इस बिल को विवड़ा किया गया लेकिन जुलाई, 1978 से धब मार्च खत्म होने की धाया, इतना समय उन्होंने इतनी सी चीज पर विचार करते करते करा विवा । उस बिल की फार्च तो बनी बनाई है, उसको कसीबर कर लिया गया होगा किर उसको पेश करने में क्या करने से क्या करने से करा करने करा मार्च करने में क्या करने करने करने में क्या करने करने में क्या करने करने में क्या करने करने में क्या करने में क्या करने में क्या करने में क्या करने करने करने में क्या करने करने में क्या करने में क्या करने में क्या करने में क्या करने करने में क्या करने करने में क्या करने में क्या करने में क्या करने करने में क्या करने करने में क्या करने करने में क्या करने में क्य

श्री सांति भूषण: प्राप तो इस बात को जानते हैं भीर सारा सदन इस बात को जानता है कि जब किसी कम्युनिटों की तरफ से किसी विधेयक का विरोध हो तो उस पर गीर करना पड़ता है। इस बाहते हैं कि उनको समझा-बुझा कर कि यह उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सहमित से तथा सभी की सहमित से काम करे। मैं भ्राणा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य सोशल धार्गेनाईजेशन से सम्बद्ध है, वे इस मामले में सभी को समझायेंगें जिससे कि किसी के मन में किसी प्रकार की शका न रह जाये धौर सभी इसका समयंन करे, मुस्लिम कम्युनिटी का भी समर्थम मिले तो सरकार जरूर इसके बारे में विचार करेगी

SHRI VASANT SATHE: The only objection appears to have come from some friends of the Muslim community who think that this will affect the personal law of muslims, although the provision contemplated was an enabling one. There was no question of compelling any muslim to adopt any destitute or orphan or any one In fact there should have been no objection because there was no compulsion involved. But yet if there is any apprehension, even otherwise I would like to ask the hon. Minister whether he would think of calling a meeting of the representatives of the Opposition, of the Muslim community. the religious leaders and the Members of Parliament so that we can sit together and sort out the misunder. standing. If necessary, we can amend certain provisions which will allay tieir fears and yet achieve the objective. In view of the urgency of the matter, which I do not have to explain-thousand and thousands of children, who can get legitimacy by adoption and who can have parentage are being deprived of that only because there is no provision-I would like to know whether the Minister would think of calling such a confer. ence of the people concerned immediately. We will be willing to cooperate with him in this regard.

भी शांति जूबण: मैं समझता है मानतीय सवस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं कोई कारण नहीं सनझता कि इस पर कार्यवाही क्यों न की जाये। श्री संगा सिंह: घड्यका महोदय, पर्तनक लाज हिन्दूज भौर मुस्लिम के डिफरेंट है, मैरिखें ज भौर दूसरे विषयों के बारे में तो मैं माननीय मजी जो से जानना चाहता हूं क्या इसमें भी मुस्लिम्स को एक्सेप्यन नही दिया जा सकता है और इसके बावजूद क्या यह ऐक्ट इनैक्ट नहीं किया जा सकता है? It will not apply to Muslims. There is an enabling law. मेरा यह कहना है कि हम्बुभों के लिए अलग पर्सनल ला है और मुसलमानों के लिए अलग है। ऐसी सूरत में आप मुसलमानों के लिए जन में कुछ एक्सेप्सन कर वीजिए भीर दूसरों की धबेंसी को देखते हुए उन के लिए इस कानन को इनैक्ट कर वीजिए।

श्री शांति भूवण : हिन्दूब के लिए धीर कुछ दूसरी कम्यूनिटीज के लिए एडाप्सेन का ला पहले ही बना हुमा है । लेकिन मगर कोई यूनी-फाम ला बनाना है तो यह विचार का विषय है, हो सकता है कि मदालते इस पर विचार करे सी एखाई करेगा, मुस्लिम्ब को एखाई नहीं करेगा, मुस्लिम्ब को एखाई नहीं करेगा, तो इस का रीजनेबिल क्लासिफिकेशन का बेसिज माना जायगा या नहीं माना जायगा या इस को डिस्कीमिनेटरी कह कर स्ट्राइक-डाउन कर दिया जायगा — इस के बारे में राय जाहिर कर सकता हूं। लेकिन मच्छा यह होगा कि एडाप्शन का जो इनेबिलिम मच्चर हो वह यूनीफार्मजी सब के लिये एखाई करे, इस में किसी के लिए काई बोर-जबदरस्ती न हा।

## Steep Depletion of Stock of Coal

\*390. SHRI NATVERLAL B. PAR-MAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is a steep depletion of stock of coal in many sectors like fertilizer plants, steel projects and power houses due to lack of co.ordination and liaison between the Railways, the Department of Coal and the coal companies; and
- (b) if so, the steps taken to solve the problem and make up the shortfall?

कर्जा राज्य मंत्री (भी जनेस्वर सिंह):
(क) कुछ जोनों—जैसे उर्वरक संयंत्रों, इस्पात
परियोजनाओं तथा विजली घरों—के कोयले के
स्टाक में कुछ कमी रही है! किन्तु यह कमी रेलवे,
कोयला विजान तथा कोयला कम्म्यनियों के बीच
समन्वय के प्रभाव के कारण नहीं हुई! वास्तव मे
तो उनके बीच लगातार वैनिक समन्वय रखा जा रहा
है क्राकि उपलब्ध कोयला और परिवहन अमता का
काविकाम उपवोग किया जा सके और जरूरतमन्द विजेय उपभोक्ताओं की मार्गे पूरी की जा सके।